भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4146
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता

4146. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विशिष्ट लक्ष्य लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) में परिलक्षित लैंगिक समानता में सुधार का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा महिलाओं को उच्च उपाधि प्राप्त करने और असंगठित कार्यबल में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कार्यान्वित विशिष्ट पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उच्च शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की सहभागिता को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग) : लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) को मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) के एक भाग के रूप में जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। जीआईआई की गणना मातृ मृत्यु दर, किशोर जन्म दर, संसद में महिलाओं की सीटों की हिस्सेदारी, कम से कम कुछ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त जनसंख्या और श्रम बल भागीदारी दर जैसे संकेतकों के आधार पर की जाती है। भारत सरकार जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन), प्रधान मंत्री मातृ वंदना

योजना (पीएमएमवीवाई), प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल (लक्ष्य) इत्यादि जैसी विभिन्न पहलों/योजनाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। एचडीआर 2023-24 ने जीआईआई 2022 में भारत को 193 देशों में से 108वें स्थान पर रखा है। जीआईआई 2021 में, भारत 191 देशों में से 122वें स्थान पर था।

भारत सरकार ने पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को कम करके तथा महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को बढ़ाकर भारत में लैंगिक अंतर को पाटने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आर्थिक और राजनीतिक जीवन तथा शिक्षा में लैंगिक अंतर को पाटने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

- **'विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (वाइज-किरण)'** योजना के अंतर्गत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) कई कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं को समर्थन देने के लिए विभिन्न अवसर पैदा कर रहा है।
- **क्यूरी (नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन)** कार्यक्रम महिला विश्वविद्यालयों और महिला पीजी कॉलेजों में अनुसंधान बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है।
- 9वीं से 12वीं कक्षा तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में बालिकाओं के कम प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए 2020 में **विज्ञान ज्योति** शुरू की गई, जिससे 80,000 से अधिक छात्राएं लाभान्वित हुईं।
- **जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (जीएटीआई) (2020)** यह पहल एसटीईएम क्षेत्र में लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में संस्थागत स्तर पर परिवर्तनकारी बदलावों को प्रोत्साहित करती है। अपने पायलट चरण में, 30 वैज्ञानिक संस्थान एसटीईएम में लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में जीएटीआई पायलट के तहत काम कर रहे हैं।
- **महिला प्रौद्योगिकी पार्क (2017-18)** को संसाधन केंद्रों के रूप में स्थापित किया गया है, जहां महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण, विभिन्न प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण पर सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- बेसिक एंड अप्लाईड साइंस में अनुसंधान करने के लिए पीएचडी के लिए **डब्ल्यूआईएसई फेलोशिप (डब्ल्यूआईएसई-पीएचडी) और डब्ल्यूआईएसई पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप** (डब्ल्यूआईएसई -पीडीएफ), महिला वैज्ञानिकों को समाज के लाभ के लिए अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डब्ल्यूआईएसई -स्कोप, वरिष्ठ महिला वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए डब्ल्यूआईडीयूएसएचआई (विदूषी) कार्यक्रम और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डब्ल्यूआईएसई -आईपीआर कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।
- **एसईआरबी पावर योजना, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआसरबी) की खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देने वाली योजना (पावर),** जिसे विशेष रूप से महिला वैज्ञानिकों के लिए तैयार किया गया है, 2020 में शुरू की गई। इसने अनुसंधान अनुदान में 97 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जिनमें से 42 फैलोशिप महिलाओं को दी गई हैं।
- **यूजीसी द्वारा "भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन का विकास"** योजना में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन केंद्र (डब्ल्यूएससी) स्थापित करने के लिए धन प्रदान करती है, जो शिक्षण, अनुसंधान, पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण और आउटरीच कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में समन्वय स्थापित करते हुए, आईआईटी-मद्रास ने "विद्या शक्ति" योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में एसटीईएम शाखाओं में नामांकन (महिलाओं सहित) बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के वैचारिक और आधारभूत शिक्षण कौशल को बढ़ाना है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)** सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। पीएमएमवाई के तहत सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को 20 लाख रुपये तक का बिना किसी जमानत के ऋण दिया जाता है ताकि वे अपनी व्यावसायिक कार्यकलाप को स्थापित या विस्तारित कर सकें। इस योजना के तहत लाभार्थियों में से अधिकांश महिलाएं हैं।
- **स्टैंड अप इंडिया योजना** महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों अर्थात, जनसंख्या के वे वर्ग जो सलाह/मार्गदर्शन की कमी के साथ-साथ अपर्याप्त और विलंबित ऋण के कारण महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना कर रहे हैं,

के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के 84% ऋण महिलाओं को उपलब्ध कराए गए।

- **प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए),** शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तपोषित करना है ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।
- **वर्ष 2017-18 में शुरू की गई ओवरसीज फेलोशिप योजना** भारतीय महिलाओं को अपनी पसंद के क्षेत्रों में सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करती है।
- **स्किल इंडिया मिशन** राष्ट्रीय कौशल विकास नीति से जुड़ा हुआ है जिसे वंचित समूहों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडीएस) के कौशल पर विशेष ध्यान देने के लिए तैयार किया गया है।
- श्रम कानूनों में अन्य सभी अधिकारों के अलावा महिला श्रमिकों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान हैं। **मातृत्व लाभ अधिनियम को 2017** में संशोधित कर दो जीवित बच्चों के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। इसमें महिला द्वारा मातृत्व लाभ प्राप्त करने के बाद "घर से काम" करने का प्रावधान भी किया किया है, बशर्ते सोंपे जाने वाले काम की प्रकृति हो, अवधि के और शर्तों पर नियोक्ता और महिला कर्मचारी परस्पर सहमत हों।
- सरकार ने चार श्रम संहिताएं अर्थात् **वेतन संहिता 2019; औद्योगिक संबंध संहिता 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 भी लागू की** हैं, जो अन्य के साथ-साथ कई प्रावधानों जैसे वेतन, भर्ती और रोजगार की शर्तों से संबंधित मामलों में जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना; महिलाओं को उनकी सहमति और अन्य पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अधीन सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी सभी प्रकार के काम के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित करने के अधिकार के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सम्मानजनक तरीके से बढ़ावा देते हैं ।

- **सखी निवास** (कामकाजी महिला छात्रावास) योजना कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराती है और इस तरह अधिक महिलाओं को रोजगार की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **पालना,** राष्ट्रीय क्रेच योजना, यह सुनिश्चित करती है कि महिलाएं बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित और प्रेरक वातावरण प्रदान करके लाभकारी रोजगार प्राप्त करें।
- मिशन शक्ति के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर **महिला सशक्तीकरण केन्द्र (एचईडब्ल्यू)** को मंजूरी दी गई है। एचईडब्ल्यू के तहत सहायता महिलाओं को उनके सशक्तीकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध व्यवस्थाओं से जोड़ने, उनका मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध है, जिसमें देश भर में विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कॅरियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता, बैकवर्ड एंड फारवर्ड लिंकेज, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता तक समान पहुंच शामिल है।

*****